

छत्तीसगढ़ में वेतन वृद्धि और महिला सशक्तीकरण योजना लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तैदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,000 रुपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए करने और 'महतारी वंदन' योजना लागू करने का नरिणय लिया।

मुख्य बदि:

- कैबिनेट बैठक में सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' (Mahtari Vandan Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में वविहति महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वत्तीय सहायता दी जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
 - इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को समाप्त करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है।
 - लाभ उन वविहति महिलाओं को मलैगा जो 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथ छत्तीसगढ़ की मूल नविसी हैं। वधिवा, तलाकशुदा और परतियक्त महिलाएँ भी योजना के लयि पात्र हैं।
- तैदूपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा सुनश्चित करने के लयि एक नई योजना लागू की जाएगी, जिसमें 75% वत्तीय सहायता सरकार द्वारा और शेष 25% छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और वकिस) सहकारी संघ द्वारा प्रदान की जाएगी।
- मंत्रमिण्डल ने छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (BH) शृंखला वाहन पंजीयन लागू करने का भी नरिणय लिया है।
 - भारत सरकार द्वारा लागू की गई BH शृंखला के तहत दोपहिया और चौपहिया वाहनों को एक बार में दो साल का टैक्स देना होगा।
- छत्तीसगढ़ वस्तु और सेवा कर (संशोधन) वधियक-2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन कयिा गया।